


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: शुद्धि-पत्र ::

पटना-15, दिनांक- 24.7 2018


संख्या-12/नि0-3028/07 (पार्ट)-सा0प्र0-.....308...../कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) की स्वीकृत्यादेश सं0-1627 दिनांक-08.02.2008 में उल्लिखित श्री पुष्पेश कुमार, बि0प्र0से0 के द्वारा पूर्व में धारित पद अवर निरीक्षक उत्पाद के स्थान पर संशोधित रूप में सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद पढ़ा जाय।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।


(राम विशुन राय)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-12/नि0-3028/07 (पार्ट)-सा0प्र0-.....308...../पटना-15, दिनांक-24.7/2018
प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/श्री पुष्पेश कुमार, बि0प्र0से0, भूमि सुधार उप समाहर्ता, दरभंगा सदर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।